


4-219

पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक संकेत  
उपस्थित हुए। अग्रणी अग्रपक्ष  
अग्रणी की ओर लं वकालत-पत्र पेश  
नहीं हुआ है। अग्रणी का तीव्र  
आवाज लगावाई गई, फिर भी अग्रपक्ष  
है। अतः अग्रणी के विरुद्ध एक  
पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती  
है। प्राथमिक पत्र पर एक तरफ बहस  
रही गई। विवादग्रस्त भूमि मौजा  
कानपुर पटवार हल्का पालीपल लखनऊ  
वि. अमावसी संवत् 2067-2070 की  
खाता सं. नई 37 फूटान 104 कुल  
किसा। भौगफल 0.07 हेक्टर की कुल  
भूमि के खाता सं. का प्रतफल प्र.  
कलजेदार है। ~~अ~~ कुल खात की  
आंक 620 रुकबा 0.07 हेक्टर में  
: गिरजा -

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुए</p>
	<p>प्रतिवादी सं० 1 ग्राहक पंचायत पाटीला का 1/3 हिस्सा निहित है तथा वादीगण का 2/3 हिस्सा निहित है वादीगण के पुस्तके कबजे करण की प्रतीति है <del>जिसका</del> जिल्ला मज्द बाद् अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act के तहत न्यायालय में विचारस एजीन है। जार्जल पर कय अवलोकन करने मयं एक तरफा बहस बहस पर मज्द कर प्रह आदेश लिख जात है कि दोनों पक्ष मूल वाद् के निस्तारण तक <del>अपने</del> वाद् मज्द 2000 के रिचारी पश्चात् बगार्क रखे। दोनों पक्षों को मूल वाद् के निस्तारण तक जरिफे अस्थाई निजेधारण के पावद् लिख जात है जमापली घेंमल शुमार होकर नम्वल ख कय होय तथा मूल वाद् पर के सा च नल्दी है।</p>	<p style="text-align: right;">   <b>अधिकारी</b>  <b>उत्पादन जि. उदयपुर</b> </p>